न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

63/2025

आज्ञा – पत्र

कंवरलाल बनाम सरकार जर्ये तहसीलदार शाहबाद किस्म मुकदमा –223 (177)

अपील संख्या – 2025/125 अभिभाषक अपीलांट – श्री रामसिंह ऐरवाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.06.2025	यह अपील जरिये अभिभाषक अपीलांट द्वारा दिनांक 22.01.2025 को प्रस्तुत की गई। सरिस्ते की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत अपील उपखण्ड अधिकारी शाहबाद के निर्णय व डिक्री दिनांक 13–11–2006 के विरूद्ध पेश की गई है। जिस पर अभिभाषक अपीलांट की एडमिशन पर बहस सुनी गई। अपीलांट कंवरलाल पुत्र श्री गब्बू द्वारा न्यायालय हाजा में जरिये अभिभाषक दिनांक 22.01.2025 को अपील पेश की गई जो लगभग 19 साल मियाद बाहर पेश की गई है। अपीलांट द्वारा डिले के सम्बन्ध में किसी प्रकार के साक्ष्य अथवा दस्तावेज पेश नहीं किये हैं और ना ही कोई पर्याप्त कारण अवगत करवाये हैं। जबकि मियाद के बिन्दु पर एक–एक दिन के डिले को साबित किया जाना चाहिए था। इस प्रकार अपीलांट कंवरलाल पुत्र श्री गब्बू ने मियाद के सम्बन्ध में एक–एक दिन के डिले को साबित नहीं किया है, ऐसी स्थिति में यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील सारहीन होने से मियाद अधिनियम की धारा 5 के बिन्दु पर खारिज किया जाना हम उचित समझते हैं। अतः अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर एडमिशन बहस व प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर बाद सुनवाई इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। (दीप्ति रामचन्द्र मीना) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★

न्यायालय भूप्रबन्ध पदेन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय कोटा ,केम्प बारां

कंवरलाल आयु 64 वर्ष पुत्र श्री गब्बू जाति चमार निवासी ग्राम हनोतिया तहसील शाहबाद जिला बारां राज0 ——**अपीलान्ट**

—बनाम—

1— राज0 सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहबाद जिला बारां

2— डी0के0 नन्दा परियोजना प्रबन्धक एल0एण्ड टी बालापुरा

———**रेस्पोडेन्टस**

अपील बनाराजगी विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 13.11.2006 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहबाद ,मिसल नं0 37/2006 बउनवान राज0 सरकार —बनाम—कंवर लाल वगेराह वाद अन्तर्गत धारा 177 राज0टी0एक्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 टी0 एक्ट

महोदय,

अपीलान्ट निम्न आधारो पर यह अपील पेश कर निवेदन करता है कि :—

1— यह कि अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय शाहबाद मे रेस्पो0 कमांक 1 अपीलान्ट के विरूद्ध एक वाद बउनवान राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहबाद--बनाम—कंवर लाल वगेराह वाद अन्तर्गत धारा 177 राज0टी0एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि आराजी खाता सख्या 5 की खसरा नं0 9 रकबा 16 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम हनोतिया तहसील शाहबाद मे स्थित है जिसके खातेदार कंवर लाल ने कृषि भूमि को प्रतिवादी कम 2 से मिलकर किस्म परिवर्तन कर दी है तथा प्रतिवादीगण ने